**कार्यालयः जनपद न्यायाधीश, लखनऊ**

**संख्याः** **दिनांकः 14 फरवरी, 2022**

**–:प्रशासनिक आदेशः–** संख्या 77/2022

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांकः 2435/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad , दिनांकित 13 फरवरी, 2022 के द्वारा कोविड–19 महामारी के दौरान न्यायालयों के खुलने और कार्य प्रणाली के संबंध में निर्गत पूर्ववर्ती दिशा–निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए प्रदेश के सभी न्यायालयों (अधिकरणों सहित), जो माननीय न्यायालय के अधीनस्थ हैं, के लिये निम्न दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं :–

**(1)** उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सभी न्यायालय (न्यायाधिकरणों सहित) न्यायिक कार्य ओर प्रशासनिक मामलों को लेने के लिये समय–समय पर जारी और लागू प्रावधानों, नियमों, दिशा–निर्देशों और परिपत्रों के अनुसार खुले रहेंगे।

**(2)** न्यायालय परिसर में कोई कोविड पॉजिटिव केस पाये जाने पर कोर्ट को बन्द नहीं किया जायेगा, और काम करना जारी रहेगा। यदि सम्बन्धित जिला प्रशासन/सी0एम0ओ0 की यह राय है कि जिला/ बाह्य न्यायालय परिसर को कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण एक विशेष अवधि के लिये बन्द किया जाना चाहिए, तो जिला न्यायालय/बाह्य न्यायालय को उक्त अवधि के लिये विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए और माननीय उच्च न्यायालय को पूर्व सूचना के बाद कोर्ट बन्द की जा सकती है।

**(3)** पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिये हर सम्भव कदम उठायेंगे कि अदालत की कार्यवाही के लिये एक समय में कम से कम पक्ष/अधिवक्ता कोर्ट रूम में मौजूद हों, लेकिन मामलों में पक्षकारों की उपस्थिति को तब तक नहीं रोकेंगे, जब तक कि कोई बीमारी न हो।

**(4)** प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का कड़ाई से उपयोग किया जायेगा। साथ ही न्यायालय कक्ष में दरवाजे पर सेनेटाईजर की व्यवस्था की जायेगी और कोर्ट रूम में सोशल डिस्टेन्सिंग के दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

**(5)** न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं/वादकारियों के प्रवेश को प्रतिबन्धित तथा विनियमित करने के लिये सम्बन्धित बार एसोसिएशन

के पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद आवश्यक सहयोग लिया जा सकता है। जैसे ही मामले में सुनवायी हो जाती है, अधिवक्ता/वादकारी न्यायालय कक्ष/परिसर से बाहर निकल जायेंगे और केवल ऐसे विद्वान अधिवक्ताओं, वादकारियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, जिनके वाद/मामले सूचीबद्ध हैं।

**(6)** जिला न्यायाधीश/पीठासीन अधिकारीगण माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा न्यायिक पक्ष में दिये गये निर्देशों और केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में जारी सभी निर्देशों/दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

**(7)** उपरोक्त दिशा–निर्देश दिनांक **14.02.2022** से अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

उपरोक्त आदेश का अनुपालन सभी सम्बन्धित द्वारा अक्षरशः सुनिश्चित किया जाए। केन्द्रीय नाजिर दिशा–निर्देश कमांक–4 के अनुपालन में प्रत्येक न्यायालय कक्ष के द्वार पर सेनेटाईजर का रखा जाना सुनिश्चित करें। सभी पीठासीन अधिकारी मास्क व सामाजिक दूरी के संबंध में माननीय न्यायालय के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

यह आदेश सभी न्यायालय और न्यायालय को विभागों में अनुपालनार्थ परिचालित हो।

आदेश की एक–एक प्रति अध्यक्ष/मन्त्री, सेन्ट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ व लखनऊ बार एसोसिएशन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

(राम मनोहर नारायण मिश्रा)
जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ 14-2-2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) जिलाधिकारी, लखनऊ
(2). पुलिस आयुक्त, लखनऊ
(3) अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ
(4) नगर आयुक्त, लखनऊ

(राम मनोहर नारायण मिश्रा)
जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ
14-2-2022